न्यायालय — [illegible] मु.सं. 242/11

दिनांक	आज्ञा पत्र	
23.4.18	पत्रावली पेश, अपीलांट [illegible] रुपये 18 [illegible] पत्र जारी हो। संशोधन पेश [illegible] वास्ते [illegible]	
15.5.18	पत्रावली पेश, [illegible] अपीलांट द्वारा बयान [illegible] दिनांक 19.6.18 को पेश हो।	
19-6-18	बार-बार [illegible] कोई हाजिर नहीं आये। अतः [illegible] हाजरी एवं [illegible] साबित होने से [illegible] खारिज की जाती है। वकील [illegible] विस्तृत बहस पेश की। पत्रावली नम्बर से कम है। निर्णय सुनाया गया।	

19/6/18

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official